उत्तरांचल शासन

वित्त (सामान्य नियम-वेतन आयोग) अनुभाग-7

संख्या 20 /XXVII(7)/2005

देहरादूनः दिनांकः 25 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली 1985 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) (उत्तरांचल) नियमावली, 2005

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) (उत्तरांचल) नियमावली, 2005 कही जायेगी। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 1 अक्टूबर, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2- उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निधि (उत्तरांचल) नियमावली, 1985 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात- — नियम 4 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
4- संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों और पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों से भिन्न समस्त स्थायी सरकारी सेवक और समस्त अस्थायी सरकारी सेवक, जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में अभिदान करेंगे।	4- संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों और पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों से भिन्न समस्त स्थायी सरकारी सेवक और समस्त अस्थायी सरकारी सेवक, जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में अभिदान करेंगे: परन्तु कोई सरकारी सेवक जो 1 अक्टूबर, 2005 को या उसके पश्चात सेवा

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान नियम	एतत्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	में प्रवेश करता है, निधि में अभिदान नहीं करेगा।
टिप्पणी–1: शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को इस नियम के प्रयोजनार्थ अस्थायी सरकारी सेवक समझा जायेगा।	टिप्पणी–1: शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को इस नियम के प्रयोजनार्थ अस्थायी सरकारी सेवक समझा जायेगा।
टिप्पणी–2: ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक, (जिसके अन्तर्गत शिक्षु और परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी हैं) जिन्हें नियमित या अस्थायी रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया है और जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , निधि में अभिदान करेंगे।	टिप्पणी–2: ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक, (जिसके अन्तर्गत शिक्षु और परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी हैं) जिन्हें नियमित या अस्थायी रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया है और जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , निधि में अभिदान करेंगे।
टिप्पणी–3: जैसे ही कोई सरकारी सेवक निधि में अभिदान करने का दायी हो जाय, वैसे ही कार्यपालक प्राधिकारियों को चाहिए कि वे इसकी सूचना लेखा अधिकारी को दे दें।	टिप्पणी–3: जैसे ही कोई सरकारी सेवक निधि में अभिदान करने का दायी हो जाय, वैसे ही कार्यपालक प्राधिकारियों को चाहिए कि वे इसकी सूचना लेखा अधिकारी को दे दें।

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव।

संख्या– 20(1) /XXVII(7)/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3. महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तरांचल, नैनीताल।
5. स्थानिक आयुक्त उत्तरांचल, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधानसभा उत्तरांचल।
7. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तरांचल, देहरादून।
8. उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल।
10. निदेशक, उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
12. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल एकक, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

COLUMN-1 Existing rule	COLUMN-2 Rule as hereby substituted
TE-1- Apprentices and bationers shall be treated as porary Government servants for purpose of this rule.	**NOTE-1-** Apprentices and probationers shall be treated as temporary Government servants for the purpose of this rule.
TE-2- Temporary Government vants(including Apprentices and bationers) who have been ointed against regular or porary vacancies and are likely to tinue for more than a year shall scribe to the Fund from the date oining the service.	**NOTE-2-** Temporary Government servants(including Apprentices and probationers) who have been appointed against regular or temporary vacancies and are likely to continue for more than a year shall subscribe to the Fund from the date of joining the service.
TE-3- Executive authorities uld inform the Account Officer as n as a Government servant omes liable to subscribe to the d.	**NOTE-3-** Executive authorities should inform the Account Officer as soon as a Government servant becomes liable to subscribe to the fund.

Indu Kumar Pande
Principle Secretary

In pursuance, of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 20 /XXVII(7)/2005 dated October 25, 2005.

No. 20 /XXVII(7)/2005
Dated: Dehradun:October 25 , 2005

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh General Provident Fund (Uttaranchal) Rules, 1985.

THE UTTAR PRADESH GENERAL PROVIDENT FUND (AMENDMENT) (UTTARANCHAL) RULES, 2005.

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh General Provident Fund (Amendment) (Uttaranchal) Rules, 2005. — Short title and commencement
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from October 1 , 2005.

2- In the Uttar Pradesh General Provident Fund Rules (Uttaranchal) , 1985 for exiting rule 4 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:- — Substitution of rule 4

COLUMN-1 Existing rule	COLUMN-2 Rule as hereby substituted
Conditions of eligibility- All permanent Government servants and all temporary Government servants, other than those appointed on contract and re-employed pensioners, whose services are likely to continue for more than a year shall subscribe to the fund from the date of joining the service.	4. **Conditions of eligibility-** All permanent Government servants and all temporary Government servants, other than those appointed on contract and re-employed pensioners, whose services are likely to continue for more than a year shall subscribe to the fund from the date of joining the service: Provided that no government servant entering service on or after October 1 , 2005 shall subscribe to the fund.

No- 20 (1)/XXVII(7)/2005 dated above.

Copy: For information and necessary action to following:-

1- All Principal Secretaries/Secretaries, Uttaranchal Govt.
2- All Head of Departments/Head of the Offices, Uttaranchal.
3- Accountant General, Uttaranchal, Dehradun.
4- Ragistrar General, Hon'able High Court of Uttaranchal, Nainital.
5- Resident Commissnor, Uttaranchal, New Delhi.
6- Secretary, Vidhansabha, Uttaranchal.
7- Secretary, To Governor Uttaranchal.
8- All Sections, Uttaranchal Secretariat, Dehradun..
9- All Treasuary Officers, Uttaranchal.
10- Director, Administrative Training Institute, Nainital.
11- Deputy Director, Government Press, Roorkee for publication in State Gazette.
12- Senior Technical Director, N.I.C Uttaranchal Unit, Dehradun.

By Order,

(T.N.Singh)
Additional Secretary